न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 94/2022/दावा/बउनवान/हेमराज बनाम नरेन्द्र कुमार वगै0
जीसीएमएस संख्या 2022/319

1. हेमराज पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
2. दीनदयाल पुत्र श्री रतनलाल जाति मीणा
3. गिर्राज पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
4. सौभागमल पुत्र श्री कालूलाल जाति मीणा
5. कमल पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा
6. दिनेश पुत्र श्री गोबरीलाल जाति मीणा निवासीगण पाली की झौंपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र औंकारलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बमोरी हाल जोनल हॉस्पिटल के सामने, महावीर गार्डन के पास, बारां तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादी : श्री एम.एस. हाडा

दायरा दिनांकः 22.11.2022 **निर्णय दिनांक : 10.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जो ठोस तथ्यो पर आधारित है, जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी आशा है।
2. यह कि वाके ग्राम धोकलखेडी पटवार हलका बमोरी कलां तहसील मांगरोल में खसरा नं0. 46 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0. 52 रकबा 0.79 है0, कुल 2 किता रकबा 1.82 है0, भूमि स्थित है, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी क्रम 01 के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है, जिसे इस प्रार्थना पत्र/वाद में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
3. यह कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी क्रम 01 के नाम इंतकाल नं0. 105 दिनांक 22.06.2022 से औंकारलाल के फौत होने के कारण उसका दत्तक पुत्र होने की वजह से अप्रार्थी क्रम 01 के नाम दर्ज हुई है, जो वारिस इंतकाल के रूप में दर्ज हुई है, उससे पहले यह भूमि औंकारलाल वल्द धूलीलाल कौम धाकड़ निवासी बमोरी के नाम दर्ज थी तथा वक्त कैचमेन्ट सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबंदी में औंकार पुत्र श्री धूलीलाल कौम धाकड़ साकिन बमोरी के नाम दर्ज थी, उस समय इस भूमि का खसरा नं0. 24 रकबा 1.10 है0, व खसरा नं0 25 रकबा 0.84 है0, कुल 2 किता रकबा 1.94 है0, था तथा इंतकाल नं0. 18 से कैचमेन्ट द्वारा खसरा नं0. 24 रकबा 1.10 है0, व खसरा नं0. 25 रकबा 0.84 है0, कुल 2 किता रकबा 1.94 है0, के स्थान पर नये खसरा नं0. 46 रकबा 1.03 व खसरा नं0. 52 रकबा 0.79 है0, कुल 2 किता रकबा 1.82 है0, दर्ज करने के

अंजना सहरावत
अधिकारी

Scanned by CamScanner

आदेश हुये थे, जिसका नोट जमाबंदी सम्वत् 2056 से 2059 के कॉलम नं0. 17 में लगा हुआ है। इससे पूर्व सम्वत् 2048 से 2051 में यह भूमि औंकारलाल वल्द धूलीलाल धाकड़ के नाम दर्ज थी।

4. यह कि ग्राम धोकलखेड़ी के सम्वत् 2044 से 2063 के मिलान क्षेत्रफल में खसरा नं0. 24 रकबा 1.10 है0, व खसरा नं0. 25 रकबा 0.84 है0, का साबिक खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा था। सम्वत् 2014 से 2023 के मिलान क्षेत्रफल में धोकलखेड़ी की उपरोक्त खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा का साबिक खसरा नं0. 11 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा था।

5. यह कि पक्षकारों का वंश वृक्ष इस प्रकार है :–

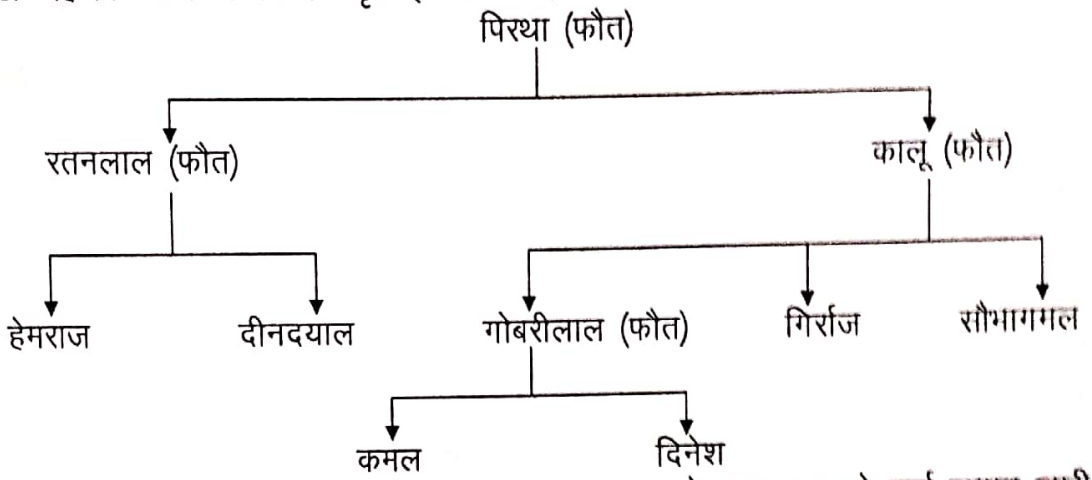

6. यह कि भू–प्रबंध विभाग सैटलमेन्ट का सम्वत् 2014 से 2023 का जो पर्चा लगान जारी हुआ, उसमें वादग्रस्त भूमि नकटी वाला खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं0 3 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा मासूम नानज्या वाला का पर्चा लगान रतनलाल कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा निवासी पाली के नाम जारी हुआ था।

7. यह कि प्रार्थीगण व रतनलाल कालू पिसरान पिरथा जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते हैं तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती।

8. यह कि वादग्रस्त भूमि के बाबत दिनांक 21.07.1964 को एक नामांतकरण ग्राम धोकलखेडी की खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा का इंतकाल नं0. 4 को तस्दीक किया गया, जिसमें वादग्रस्त भूमि रतना व कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा के नाम दर्ज थी, जो कॉलम 5 में दर्ज है। कॉलम नं0. 11 में रतना कालू के बजाए यह भूमि औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ बमोरी के नाम दर्ज कर दी गई तथा इंतकाल में यह नोट लगाया गया कि आराजी खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा सम्वत् 2012 से कस्बा काश्त औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का चला आ रहा है, अतः मुताबिक धारा 19 टीनेंसी एक्ट उपरोक्त आराजी खसरा नं0. 12 की रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा औंकार के नाम दर्ज फरमायी जावे और इसका अंकन भी कर दिया गया, जबकि मीणा जाति के व्यक्ति किसी भी स्थिति में धाकड़ जाति का व्यक्ति जो सवर्ण जाति में आता है के नाम दर्ज नहीं हो सकती थी।

9. यह कि सम्वत् 2012 की खसरा गिरदावरी में इस भूमि का फर्द मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नं0. 11 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा था तथा ऐसी कोई जमाबंदी या खसरा गिरदावरी में औंकार वल्द धूलीलाल धाकड़ का कब्जा नहीं है, केवल मात्र सम्वत् 2020 से 2023 की खसरा गिरदावरी खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा नकटी वाला में जैली औंकार दर्ज है, किन्तु इसके बाद सम्वत् 2015 में जैली औंकार दर्ज है, लेकिन सम्वत् 2026 से 2029 की गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि कहीं भी औंकार की काश्त नहीं है, क्योंकि सम्वत् 2032 तक जो व्यक्ति काश्त करता था, उसका नाम गिरदावरी में दर्ज होता था तथा 2026 से 2029 की गिरदावरी में रतनलाल कालू का नाम दर्ज है। वास्तव में वादग्रस्त भूमि कर वल्द धूलीलाल के पास गिरवी रखी गई थी,

Scanned by CamScanner

लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जैली के आधार पर सम्वत् 2012 से औंकार कब्जा लिखकर यह भूमि औंकार के नाम दर्ज कर दी, जो सरासर गलत है क्योंकि धारा 19 (1AA) टेनेंसी एक्ट 1955 के परन्तुक में मीणा जाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी को भी जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है, खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा धारा 19 आर.टी. एक्ट के तहत भी एस.सी. एस.टी. की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा इसी प्रकार धारा 43 आर.टी. एक्ट की धारा 43 (4) आर.टी. एक्ट के तहत यदि सन् 1955 में से पहले भी यदि किसी व्यक्ति की भूमि किसी के पास बन्धक की गई है तो टीनेंसी एक्ट 1955 के लागू होने के 20 वर्ष बाद स्वतः ही बंधक बिना रकम दिये समाप्त हो जायेगा, यह प्रावधान टीनेंसी एक्ट में है तथा इस आधार पर अप्रार्थी क्रम 01 के पिता को जो खातेदारी दी गई वह शून्य है।

10. यह कि साबिक खसरा नं0. 3 जो नानज्या वाला है वह सम्वत् 2014 से 2023 की जमाबंदी में रतनलाल, कालू पिरसराम पिरथा जाति मीणा के नाम दर्ज है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण रतना व कालू के वारिसान है।
11. यह कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों को अपने पिता के जमाने से ही निरंतर काश्त करते चले आ रहे है, आज दिन तक वादग्रस्त भूमियां कभी भी अप्रार्थी क्रम 01 अथवा उसके पिता ने काश्त नहीं की। रतनलाल दिनांक 29.04.2011 को तथा कालूलाल दिनांक 18.05.2021 को फौत हुआ है।
12. यह कि विवादग्रस्त भूमियां औंकारलाल के फौत होने के बाद उसकी पत्नि भैरीबाई के नाम इंतकाल नं0. 105 दिनांक 20.06.2022 से दर्ज हुई तथा भैरी बाई के दिनांक 14.10.2021 को फौत होने के कारण भैरी बाई के कोई वारिस नहीं होने के कारण गोदनामा के आधार पर औंकारलाल ने अप्रार्थी क्रम 01 को गोद लेना बताया, इस कारण अप्रार्थी क्रम 01 के नाम दर्ज हुई है किन्तु भैरी बाई ने भी कभी भी इन भूमि को काश्त नहीं किया।
13. यह कि रतना, कालू पुत्र श्री पिरथा के फौत होने के कारण उनकी जो दीगर भूमियां थी, उनका नामांतकरण भी प्रार्थीगण के नाम तस्दीक हुआ है, इस कारण ही प्रार्थीगण उपरोक्त विवादग्रस्त भूमियों के मालिक व स्वामी है तथा आज दिन भी प्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं।
14. यह कि औंकार पुत्र श्री धूलीलाल के फौत होने पर इंतकाल नं0. 57 दिनांक 05.06.2007 से औंकार के स्थान पर भैरी बाई बेवा औंकार का नाम दर्ज हुआ था, जो जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 में दर्ज है।
15. यह कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 01 के नाम दर्ज होने के कारण वह उसका नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करके दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की व उनके पिता की भूमियां है जो अनुसूचित जनजाति की भूमियां है जिन पर किसी भी सवर्ण व्यक्ति को खातेदारी नहीं मिल सकती। विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण ने फसल बो रखी है, किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 जबरन काश्त करने पर आमादा है। दिनांक 15.09.2022 को अप्रार्थी क्रम 01 विवादग्रस्त भूमि पर आ गया व धमकी दी कि मैं इस भूमि को जबरन काश्त करके दीगर व्यक्ति को बेचान करूंगा, बमुश्किल प्रार्थीगण के समझाने से वह वापस गया, लेकिन ऐलानियां धमकी दी में इस भूमि की रजिस्ट्री किसी भी व्यक्ति के नाम करवा दूंगा। अत एव प्रार्थीगण के खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी व नालिशी है कि वह वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा न करें व रहन बेचान न करें तथा प्रार्थीगण को शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें।
16. यह कि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी।
17. यह कि प्रार्थीगण का मुकदमा प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

Scanned by CamScanner

18. यह कि अन्य तथ्य वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की मद नं. 01 में वर्णित विवादग्रस्त भूमियां वाके माल धोकलखेड़ी तहसील मांगरोल में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं भूमियों का बेचान न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्टों अथवा हित प्रतिनिधियों से करावें तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि शान्तिपूर्ण ढंग से काश्त करने देवें। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझे वह भी प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 22.11.2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि आराजी विवादित है क्योंकि वर्णित आराजियात पर प्रतिपक्षी क्रम 1 शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त कर रहा है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 जिस तरह से लिखी गई है स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नंबर 46 रकबा 1.03 हेक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.79 हैक्टेयर किता 2 रकबा 1.82 हेक्टेयर ग्राम धोकलखेड़ी पूर्व में मृतक खातेदार औंकार पुत्र धूलीलाल धाकड के खाते दर्ज थी उसकी मृत्युपरान्त उसकी बेवा भैरीबाई के फौती इन्तकाल से दर्ज हुई तत्पश्चात भैरीबाई की मृत्युपरान्त जरिये रजि0 गोदनामा प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई। वर्तमान में प्रतिपक्षी क्रम 1 रिकार्डेड खातेदार है शेष मद राजस्व रिकार्ड अनुसार स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 स्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद नंबर 6 स्वीकार नहीं है। विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 अस्वीकार है। मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि आराजी का हस्तान्तरण किसी भी सूरत में अनूसूचित जनजाति से सामान्य जाति में नहीं हो सकता। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 में आराजी खसरा नंबर 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा इन्तकाल नं0. 4 औंकार वल्द धूलीलाल धाकड के खाते दर्ज होना स्वीकार है। इन्तकाल नंबर 4 विधिवत रूप से बाद जांच राजस्व कर्मचारियों द्वारा तस्दीक किया गया है जो संपूर्ण रूप से सही है। सम्वत 2012 से ही औंकार वल्द धूलीलाल का आराजी पर कब्जा काश्त होने की वजह से इन्तकाल नंबर 4 तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत है और धारा 19 राज0 टी0 एक्ट के तहत तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण विधिवत एंव त्रुटिहीन है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 9 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने कानून की सही व्याख्या न करके तोड–मरोड कर मद नंबर 9 अंकित की है जो पूर्णरूप से अस्वीकार है। औंकार वल्द धूलीलाल धाकड आराजी पर सन 1955 से पूर्व का कब्जा होने तथा वक्त अधिनियम 1955 प्रभावी होने पर कब्जा काश्त होने से औंकार के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो हर तरह से विधि सम्मत है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 10 स्वीकार नहीं है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

Scanned by CamScanner

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 11 अस्वीकार है। स्वयं प्रार्थी का कथन है कि इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21.07.1964 को औंकार वल्द धूलीलाल के खाते दर्ज कर दिया गया और इन्तकाल नंबर 4 में ही प्रार्थी का कब्जा काश्त प्रतिपक्षी क्रम 3 तहसीलदार साहब बता रहे हैं जो सम्वत 2012 से है इस प्रकार आराजी पर सम्वत 2012 से ही औंकार का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि भैरीबाई और उसके उपरान्त प्रतिपक्षी क्रम 1 काश्त करता चला आ रहा है और आज भी काबिज काश्त है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 12 में यह स्वीकार नहीं है कि भैरीबाई ने अपने खाते की आराजी को कभी काश्त नहीं किया हो। इस कथन को छोडकर शेष मद स्वीकार है।
13. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 13 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।
14. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 14 स्वीकार है।
15. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 15 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते दर्ज आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड के आधार पर ही औंकार, उसकी मृत्युपरान्त भैरीबाई व उसकी मृत्युपरान्त प्रतिपक्षी क्रम 1 लगातार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है और यह राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
16. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 16 स्वीकार नहीं है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
17. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 17 अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन व अपरिमित क्षति का बिन्दु नहीं है बल्कि यह तीनों बिन्दु प्रतिपक्षी के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी क्रम 1 से पूर्व भैरीबाई बेवा औंकार आराजी की रिकार्डेड खातेदार थी और भैरीबाई के पूर्व उसके पति औंकार पुत्र धूलीलाल रिकार्डेड खातेदार रहे हैं। इस प्रकार 58 वर्षों से लगातार आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के परिवार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती आ रही है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।
18. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 18 का जवाब वक्त बहस मौखिक रूप से दिया जावेगा।

प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है।

अप्रार्थी 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में विशेष आपत्तियाँ जाहिर की जो निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी ने स्वयं मद नंबर 8 प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21.07.1964 से मद नंबर 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी औंकार पुत्र धूलीलाल धाकड के खाते दर्ज कर दी गई। धारा 19 की उपधारा 7 व उपधारा 15 के अनुसार खातेदारी दर्ज की गई है जो विधिसम्मत है। धारा 7 के अनुसार इन्तकाल नंबर 4 दर्ज करने से पूर्व–पूर्ण रूप से जांच की गई है, और बाद जांच कानूनगो की रिपोर्ट के पश्चात तहसीलदार साहब ने धारा 15 के तहत इन्तकाल नंबर 4 तस्दीक किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र में है इस प्रकार सम्वत 2012 से ही मृतक औंकारलाल पुत्र धूलीलाल धाकड का आराजी पर कब्जा काश्त है।
2. यह कि प्रार्थी के द्वारा सन 2022 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि औंकार वल्द धूलीलाल धाकड को इन्तकाल नंबर 4 से सन् 1964 में खातेदारी दी गई थी। इस प्रकार लगभग 58 वर्ष के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो बैरून मियाद है, 58 वर्षों तक प्रार्थी के द्वारा औंकार के पक्ष में दर्ज इन्तकाल नबर 4 को

Scanned by CamScanner

चुनौती नहीं दी गई जो कि अन्तिम हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है।

3. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन को प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से ही स्पष्ट है कि सन 1964 से अपनी मृत्यु तक औंकार खातेदार था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी बेवा भैरीबाई खातेदार बनी और भैरीबाई की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड गोदनामे से प्रतिपक्षी क्रम 1 के खाते दर्ज हुई है। इस प्रकार सन 1964 से ही खसरा नंबर 46 रकबा 1.03 हे0, खसरा नंबर 52 की 0.79 हे0, आराजी पर पूर्व से ही प्रतिपक्षी क्रम 1 के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है, 58 वर्षों तक रिकार्डेड खातेदारी आराजी पर कब्जा काश्त होने से किसी भी कीमत पर स्थायी निषेधाज्ञा / अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।
4. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 1 खातेदार को काबिज काश्त होने पर दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिपक्षी क्रम 1 ने बैंक से के.सी.सी बना रखी है।
5. यह कि इन्तकाल नंबर 4 दिनांक 21.07.1964 को आज तक प्रार्थी के द्वारा सक्षम न्यायालय मे चुनौती नहीं दी गई है और जैरकार प्रार्थना पत्र में भी इन्तकाल नंबर 4 को निरस्त करने की प्रार्थी के द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी0 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम धोकलखेडी पटवार हलका बमोरी कलां तहसील मांगरोल में खसरा नं0. 46 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0. 52 रकबा 0.79 है0, कुल 2 किता रकबा 1.82 है0 आराजी पर मदालखत एवं बेचान न करने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। भू–प्रबंध विभाग सैटलमेन्ट का सम्वत् 2014 से 2023 का जो पर्चा लगान जारी हुआ, उसमें वादग्रस्त भूमि नकटी वाला खसरा नं0. 12 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं0 3 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा मासूम नानज्या वाला का पर्चा लगान रतनलाल कालू पिसरान पिरथा कौम मीणा निवासी पाली के नाम जारी हुआ था। प्रार्थीगण व रतनलाल कालू पिसरान पिरथा जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते है तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। वास्तव में वादग्रस्त भूमि कर वल्द धूलीलाल के पास गिरवी रखी गई थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने जैली के आधार पर सम्वत् 2012 से औंकार कब्जा लिखकर यह भूमि औंकार के नाम दर्ज कर दी, जो सरासर गलत है। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि प्रार्थीगण के विवादित आराजी में हक अधिकार का फैसला मूल वाद में तय किया जायेगा। अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी को रहन–बेचान एवं प्रार्थीगण की काश्त व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो न केवल प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा, अनावश्यक वादकरण को

Scanned by CamScanner

रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदालखत कर विवादित आराजी का बेचान किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम धोकलखेडी पटवार हलका बमोरी कलां तहसील मांगरोल में खसरा नं0. 46 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0. 52 रकबा 0.79 है0, कुल 2 किता रकबा 1.82 है0 आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी कम 1 वादग्रस्त आराजी को रहन–बेचान नहीं करे ऐसा ना तो वह स्वयं करे और ना ही अपने ऐजेन्टों से कराए। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner